तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्साजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
02.11.2020	पत्रावली आज पेश हुई। दौनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया। जवाब की प्रति वकील अप्रार्थीगण को दिलाई गई। दौनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) पर बहस सुनी गई। दौनों पक्षों की बहस व जवाब एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ठ है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी मौजा पादरू के खेत खसरा नम्बर 1922/116 रकबा 5.5846 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1924/221 रकबा 5.5685 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एन.जी. प्रोजेक्टस लिमिटेड मुख्य कार्यालय एन जी सर्कल मेहतापुरा हिम्मतनगर जिला साबरकांटा गुजरात जरिये डायरेक्टर के नाम सम्पूर्ण हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित होने प्रार्थी मध्यक्षेपी एन.जी.प्रोजेक्टस् मुख्य कार्यालय एन जी सर्कल मेहतापुरा हिम्मतनगर जिला साबरकांटा गुजरात जरिये डायरेक्टर का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) स.प.धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। साथ ही दौनों पक्षों के अधिवक्तागण से मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक होने व प्रार्थीगण के उक्त आराजी में जन्म से ही निहित होने पर बल देते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा इस न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध दी गई निषेधाज्ञा को ताफैसला पुष्ट करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त आराजी केवल मात्र अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के वास्तविक हक अधिकारी, खातेदार नहीं होने तथा प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड मे नाम नहीं होने से किसी प्रकार से विरूद्ध विप्रार्थीगण कानूनन निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। नाहक विप्रार्थीगण को परेशान व जेरबान करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रखकर निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है जो निरस्त की जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावे। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.07.2020 में विप्रार्थीगण का तथा मध्यक्षेपी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071–2074 प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.07.2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मौजा पादरू के खेत खसरा नम्बर 1922/116 रकबा 5.5846 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1924/221 रकबा 5.5685 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एन.जी. प्रोजेक्टस लिमिटेड मुख्य कार्यालय एन जी सर्कल मेहतापुरा हिम्मतनगर जिला साबरकांटा गुजरात जरिये डायरेक्टर के नाम सम्पूर्ण हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण के हक–अधिकार वाद पत्र में तय होंगे। विधि के प्रावधानों के अनुसार एक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अन्य निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से न्यायालय रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी रखना न्यायोचित नहीं समझता है ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विरूद्ध विप्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा दि.नं. 29.07.2020 को निषेधाज्ञा निरस्त की जाकर प्रार्थीगण की प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 रा. खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (कुसुमलता चौहान) सहायक कलक्टर, सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:32 IST
Reason: SelfAttested